बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

योजना एवं विकास विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी शाखा
4972
13-5-25

का०आ०सं०—स्था०1/आ02—20/2015 - 85 /पटना, दिनांकः— 08/05/25

कार्यालय आदेश

श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बारूण—सह—क्रय केन्द्र प्रभारी, टेंगरा (बारूण) सम्प्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, रफीगंज प्रखण्ड, औरंगाबाद के विरूद्ध वर्ष—2014—15 में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में अनियमितता बरते जाने के आरोप में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक—508/आ० दिनांक—22.04.2015 द्वारा भेजे गये आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०—177 सहपठित ज्ञापांक—910 दिनांक—15.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद—सह—संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालन प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्ष में श्री सिंह पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है, पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०—106 सहपठित ज्ञापांक—630 दिनांक—13.03.2018 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

2. CWJC No.-4819/2020 श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक—04.07.2024 का Operating Part निम्नवत है :—

"In this view of the matter, it transpires to this Court that the punishment order is absolutely bad in law and in complete violation of the rule established under CCA Rules, 2005 and similarly, in the appeal also, that basic violation of law has also not been taken into consideration. Therefore, the order contained in contained in Memo No.630 dated 13.03.2018 (annexed as Annexure-I/C) and order contained in Memo No.1979 dated 28.09.2018 (annexed as Annexure-I/D) are hereby set aside. The respondent authorities shall be at liberty to proceed further against the petitioner on the basis of charge memo which has been issued with a view to impose minor penalties but, everything shall be completed within six months form the date of production of the order if, respondent authorities decides to proceed further.

Accordingly, with the aforesaid observations, the present writ petition stands allowed."

3. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध LPA दायर करने के बिन्दु पर विधि प्रशाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संचिका सं०—अ०सा०नि०/स्था०24—02/2020 में विधि विभाग, बिहार सरकार से परामर्श प्राप्त किया गया। उक्त पारित न्यायादेश दिनांक—04.07.2024 के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श निम्नवत है :—

"On perusal of order dt.04.07.24 in CWJC-4819/2020, it is evident that proceeding against the petitioner was initiated contemplating major penalty proceeding. If it was major penalty proceeding, obviously procedure prescribed under rule 17 of Bihar CCA Rules have to be observed. However, that was not done if procedure was not followed, it will give opportunity to the writ court to interfere . Precisely this is how the writ court has interfered. In the notes on Page 12 to 13. N. the same stands admitted.

Be that as it may, writ court has remitted the matter for a fresh consideration within six months from receipt of order. Thus defect as pointed by writ court may be

(6)

cured and proceeding may be taken up in accordance with the direction to be concluded in stipulated time period.

In view of above facts there is no necessity of filling LPA."

विधि विभाग द्वारा दिये गये परामर्श एवं CWJC No.-4819/2020 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने एवं उसपर श्री सिंह से मांगे गये अभ्यावेदन के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8237 दिनांक–06.07.2017 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के तहत श्री सिंह पर **निंदन** का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

अतः पूर्व में श्री सिंह पर निदेशालय के का०आ०सं०–106 सहपठित ज्ञापांक–630 दिनांक–13.03.2018 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोके जाने संबंधी दण्ड को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त करते हुए बकाये वेतनवृद्धि का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ह०/–

(डॉ० विद्या नन्द सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–20/2015 – 789 /पटना, दिनांकः–08/05/25

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बारूण–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, टेंगरा (बारूण) सम्प्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, रफीगंज प्रखंड, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक